शाहजहाँपुर पुलिस

प्रेस नोट-सराहनीय कार्य दिनांक : 02.12.2024

थाना पुवायाँ पुलिस द्वारा नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तारः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर महोदय के निर्देशनुसार, श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में व श्रीमान क्षेत्राधिकारी पुंवायाँ के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अपराध रोकधाम व गिरफ्तारी वाँछित अभियुक्त के क्रम में पुवायाँ पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर नाबालिक के साथ बलात्कार करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तारः -

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 30.11.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना पुवायां पर तहरीर देकर अभियुक्त नन्दू निवासी खुटार जनपद शाहजहाँपुर के विरुद्ध वादिनी की नाबालिक पुत्री के साथ गलत काम(बलात्कार) करने के सम्बन्ध मे पंजीकृत कराया था। जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक श्री हरपाल सिंह बालियान द्वारा स्वंय ग्रहण कर सम्पादित की जा रही हैं।

आज दिनांक 02.12.2024 को थाना पुवायाँ पुलिस को मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि आपके थाना पर लिखे गये बलात्कार के मुकदमे से सम्बन्धित नामित नन्दू इस समय जेवा रोड पर पुल के पास खडा है कहीं जाने की फिराक मैं हैं। जल्दी की जाये तो पकड़ा जा सकता है। उक्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मुखविर द्वारा बताये स्थान से एक व्यक्ति को पकड़ लिया पकड़े हुए व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली तो इस व्यक्ति ने अपना नाम सन्तोष कुमार गुप्ता उर्फ नन्दू पुत्र प्रदीप कुमार निवासी ग्राम इटौवा थाना खुटार जिला शाहजहाँपुर बताया जो थाना हाजा का वांछित अभियुक्त है। अतः अभियुक्त सन्तोष कुमार गुप्ता उर्फ नन्दू उपरोक्त को इसके जुर्म व धारा से अवगत कराते हुए कारण गिरफ्तारी बताकर समय 12.30 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। जिसको बाद आवश्यक विधिक कार्यवाही मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सन्तोष कुमार गुप्ता उर्फ नन्दू पुत्र प्रदीप कुमार निवासी ग्राम इटौवा थाना खुटार जिला शाहजहाँपुर

पंजीकृत अभियोग -

1. मु0अ0सं0 821/24 धारा 65(1)/333 बीएनएस व ¾(2) पाक्सो एक्ट एक्ट थाना पुवायाँ शाहजहाँपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 श्री अनुज कुमार थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
2. का0 1181 गगन पवार थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर